सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **372/2018** दायर दिनाँक **19.12.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. सत्यनारायण पुत्र हणमानराम, उम्र—64साल, 2. पूर्णमल पुत्र हणमानराम, उम्र—59साल, समस्त,जाति—नाई, निवासी—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. केशराराम पुत्र दानाराम, उम्र—60साल, जाति—जाट, निवासी—दयालपुरा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. नाथूराम पुत्र लादूराम, (फौत), के वारिसान,— 2/1 भगवतीदेवी पत्नी स्वर्गीय नाथूराम, उम्र—58साल, 2/2 नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय नाथूराम, उम्र—35साल, 2/3 सरोज पुत्री स्वर्गीय नाथूराम पत्नी राधेश्याम, उम्र—38साल, हाल,निवासी—मावा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2/4 सुमन पुत्री स्वर्गीय नाथूराम पत्नी सोहनराम, उम्र—32साल, हाल,निवासी—मौल्यासी, तहसील—लक्ष्मणगढ, जिला—सीकर, राजस्थान, 2/5 मैना पुत्री स्वर्गीय नाथूराम पत्नी विनोदकुमार, उम्र—26साल, हाल,निवासी—बेगसर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3. कुन्दनराम पुत्र लादूराम (फौत) के वारिसान्— 3/1 मन्जूदेवी पत्नी स्वर्गीय कुन्दनराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 372/2018
दायर दिनाँक 19.12.2018, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
सत्यनारायण बनाम् केशराराम, वगैरा।

		उम्र–50साल, 3/2 राजेन्द्रकुमार पुत्र स्वर्गीय कुन्दनराम, (लाऔलाद फौत), 3/3 कैलाश पुत्र स्वर्गीय कुन्दनराम, उम्र–32साल, 3/4 जितेन्द्र पुत्र स्वर्गीय कुन्दनराम, उम्र–28साल, 4. लालूराम उर्फ लालचन्द पुत्र चेनाराम, (फौत), के वारिसान्– 4/1 रामीदेवी पत्नी स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, (फौत), 4/2 कैशरमल पुत्र स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, उम्र–45साल, 4/3 श्रीराम पुत्र स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, उम्र–40साल, 4/4 सुरेशकुमार पुत्र स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, उम्र–35साल, 4/5 भँवरी पुत्री स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द पत्नी बाबूलाल, उम्र–48साल, हाल,निवासी–सरदार पुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4/6 सावित्री पुत्री स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द पत्नी स्वर्गीय भागीरथराम, उम्र–42साल, हाल,निवासी–सरदार पुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, समस्त,जाति–नाई, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादीगण संख्या 02/03 हाल,निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान तथा प्रतिवादी संख्या 02/04 हाल,निवासी–मौल्यासी, तहसील–लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर, राजस्थान, प्रतिवादी संख्या 02/05 हाल,निवासी–बेगसर, तहसील–तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान व प्रतिवादी संख्या 04/05 हाल,निवासी–सरदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान तथा 04/06 हाल,निवासी–कर्णपुरा, तहसील–दाँतारामगढ, जिला–नागौर, सीकर, राजस्थान। 5. रूपाराम पुत्र हुक्माराम, उम्र–65साल, जाति–जाट, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री नेमीचन्द शर्मा, वकील, वादी।
2. श्री लालसिंह गोदारा, वकील, प्रतिवादीगण।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 372/2018
दायर दिनाँक 19.12.2018, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
सत्यनारायण बनाम् केशराराम, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 24.12.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 तक एक ही परिवार के सदस्यगण साकिन दयालपुरा हैं। सजरा खानदान वाद के साथ पेश है।

सरहद दयालपुरा पटवार हल्का मावा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दयालपुरा जिला नागौर राजस्थान में खेवट संख्या 40/35 खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा भूमि व खेवट संख्या 173/156 खसरा नम्बर 380 रकबा 21.18 बीघा भूमि तथा खेवट संख्या 172/155 खसरा नम्बर 379 रकबा 20.02 बीघा भूमि अवस्थित हैं। प्रमाणित नकल खतौनियाँ सम्वत् 2072–2075 तक व प्रमाणित नकलें गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम दयालपुरा सम्वत् 2072 तथा नक्शे ट्रेश वाद के साथ पेश है।

वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के नाम से व उनके पूर्वजों के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज दर्शित है।

वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 का नाम सामलाती रूप से दर्ज अवश्य है मगर उक्त भूमि का वास्तविक कब्जा व काश्त निर्विवादरूप से अपने–अपने हक–हिस्से मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण या उनके पूर्वज करते आ रहे हैं।

मुतनाजा जायगा का विधिवत् बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के नहीं होने से पक्षकारान् को सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्ति में अड़चनें आती है जिसके लिए वादग्रस्त तनाजा का कानूनी बन्टवारा होना आवश्यक हो गया है। वादीगण के परिवार का कुनबाखानदान का किता काफी हो गया है और सभी अलग–अलग ही कमाते खाते है, लिहाजा दावा बाबत् बन्टवारा व घोषणा खातेदारी "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" का पेश करना लाजमी आया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर अपनी आपसी रजामन्दी व सहयोग से मौखिक बन्टवारा कर, वाद के साथ पेश नजरीनक्शा "अ" में दर्शित भूमि अनुरूप, अपने–अपने हकमुताबिक, निम्नानुसार हिस्सों पर काबिज हैं व निर्विवादरूप से काश्त कर रहे हैं:–

1. खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 केशराराम के बन्ट में व रकबा 14.11 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 03/01 मन्जूदेवी व 03/03 कैलाश व 03/04 जितेन्द्र के बन्ट में व रकबा 10.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 05 रूपाराम के बन्ट में व रकबा 03.04 बीघा प्रतिवादी संख्या 04/02 केशरमल के बन्ट में व रकबा 03.07 बीघा प्रतिवादी संख्या 04/03 श्रीराम के बन्ट में तथा रकबा 06.00 बीघा वादीगण सत्यनारायण व पूर्णमल के बन्ट में हैं।
2. खसरा नम्बर 380 रकबा 21.18 बीघा में से रकबा 10.19 बीघा प्रतिवादी संख्या 02/01 भगवतीदेवी व प्रतिवादी संख्या 02/02 नेमीचन्द के बन्ट में तथा रकबा 03.13 बीघा प्रतिवादी संख्या 04/02 केशरमल व रकबा 04.01 बीघा प्रतिवादी संख्या 04/03 श्रीराम के बन्ट में व रकबा 03.05 बीघा प्रतिवादी संख्या 04/04 सुरेशकुमार के बन्ट में है।
3. खसरा नम्बर 379 रकबा 20.02 बीघा में से रकबा 02.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 02/02 नेमीचन्द तथा शेष रकबा 18.02 बीघा वादी संख्या 01 सत्यनारायण व वादी संख्या 02 पूर्णमल के बन्ट में है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 05 रूपाराम ने, वादग्रस्त खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 04 लालू उर्फ लालचन्द के हिस्से में से रकबा 10.00 बीघा भूमि खरीद की है इस कारण उक्त विक्रय की गयी भूमि का रकबा कम करते हुए शेष भूमि ही प्रतिवादी संख्या 04 के वारिसान् के हिस्से व बन्ट में आयी है।
5. प्रतिवादी संख्या 01 केशाराम ने, वादग्रस्त खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 03 कुन्दनराम, वगैरा के हिस्से में से रकबा 08.00 बीघा खरीद की है इस कारण उक्त विक्रय की गयी भूमि का रकबा कम करते हुए शेष भूमि ही प्रतिवादी संख्या 03 के वारिसान् के हिस्से व बन्ट में आयी है।
6. वादग्रस्त भूमि की गुणवत्ता कम-ज्यादा होने की दृष्टि से भूमि भिन्न-भिन्न है। इस नजर से वादीगण को अपने हक हिस्से की भूमि देकर साथ ही खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से रकबा 06.00 बीघा भूमि बन्ट में दी गयी जिस पर वादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है. लिहाजा उक्त रकबा 06.00 बीघा वादीगण के हक में घोषित की जाना लाजमी है।

प्रतिवादी संख्या 02 नाथूराम फौत हो चुके है जिनके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 02/01 ता 02/05 है। प्रतिवादी संख्या 03 कुन्दनराम भी फौत हो चुके है जिनके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 03/01 ता 03/04 हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 04 लालू उर्फ लालचन्द फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान् प्रतिवादीगण संख्या 04/01 ता 04/06 हैं। जिसकारण से प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 का नाम वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाकर इनके वारिसान् का नाम दर्ज किया जाता है तो किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 03/02 राजेन्द्रकुमार लाऔलाद फौत हो चुके है जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाना उचित है।

प्रतिवादी संख्या 02/03 सरोज व प्रतिवादी संख्या 02/04 सुमन व प्रतिवादी संख्या 02/05 मैना व प्रतिवादी संख्या 04/05 भँवरी तथा प्रतिवादी संख्या 04/06 सावित्री वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 की पुत्रियाँ है व इन सभी की शादियाँ हो चुकी है व अपने-अपने ससुराल में आबाद दुरस्त है तथा सामाजिक रीतिनुसार इन सभी के सन्तानों के विवाहादि अवसरों पर पीहर पक्ष की ओर से सभी दायित्वों व भलिभाँति निर्वहन करते आये है व भविष्य में भी इसी प्रकार किया जाता रहेगा। इस प्रकार परिवार की पुत्रियों का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जाकाश्त नहीं है। इसलिए इनका कोई हक हिस्सा बन्ट नहीं रखा गया है, जिस पर परिवार की पुत्रियाँ सहमत हैं।

वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वादीगण व प्रतिवादीगण के वर्णित कब्जाकाश्त मुताबिक भूमि में अपने-अपने हिस्से पर पक्षकारान् असेंदराज से काबिजकाश्त है एवं इसी अनुरूप पक्षकारान्/हिस्सेदारान् के हक में खातेदारी घोषित की जाने हेतु वाद पेश हुआ है।

वादग्रस्त भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, वादीगण व प्रतिवादीगण के वाद वर्णित कब्जाकाश्त मुताबिक खातेदारी घोषित किया जाकर, शेष भूमि जो उनके बन्ट में न आकर किसी अन्य पक्षकार के हिस्से व बन्ट में है उसमें अन्य खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व अभिलेख में से हटाया जावे।

वादीगण व बन्टधारी प्रतिवादीगण के नाम बन्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी घोषित किया जाने बाबत् वाद पेश है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व अभिलेख में वादीगण व बन्टधारी प्रतिवादीगण के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

अलावा अन्य पक्षकार का कोई हिस्सा नहीं होने से इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से अन्य पक्षकारान् का नाम हटाया जाकर वादीगण व बन्टधारी प्रतिवादीगण के नाम से नजरीनक्शा में दर्शित भूमि अनुसार खातेदारी घोषित की जाने हेतु दावा पेश हुआ है।

वादीगण के हिस्से की वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम के साथ–साथ प्रतिवादीगण का भी नाम दर्ज होने से वादीगण को सरकार की तरफ से देय लाभ प्राप्ति में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वादीगण को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था इस बाबत् सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों से वादीगण ने सम्पर्क कर नकल जमाबन्दी प्राप्त की तो पता चला कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण का नाम भी दर्ज है। इसलिए वाद बाबत् घोषणा खातेदारी पेश हुआ है।

वादीगण के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के मकशद से वाद वर्णित भूमि की नकल जमाबन्दी लेने के दिवस से ही बिनाय दावा बमुकाम् दयालपुरा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रतिवादी संख्या 04 लालूराम उर्फ लालचन्द पुत्र चेनाराम, (फौत), का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालू उर्फ लालचन्द सहवन से दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 04 के अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड आदि में लालूराम पुत्र चेनाराम दर्ज है इसलिए अन्य दस्तावेजात् की भाँति ही राजस्व रिकॉर्ड में भी लालूराम दुरस्त किया जाना आवश्यक है जिस हेतु भी वाद पेश हुआ है।

मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण से राज्य–सरकार को धारा 80 (2) सी0पी0सी0 के नोटिस के बगैर पेश किया गया है, परन्तु इस में राज्य–सरकार से किसी प्रकार की दादरसी नहीं चाही गयी होने से उन्हें उक्त नोटिस नहीं दिया जाकर केवल प्रतिवादी बतौर पक्षकार बनाया गया है।

अनुतोष वादीगण है कि–

सरहद दयालपुरा पटवार हल्का मावा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दयालपुरा जिला नागौर राजस्थान में वादग्रस्त निम्न खसरान् की भूमि की, नजरीनक्शा में दर्शित हिस्सानुसार व बन्टानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हक हिस्से में खातेदारी घोषित की जावे तथा शेष खातेदारान् का नाम उक्त राजस्व अभिलेख से हटाया जावेः–

1. खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 केशराराम को व रकबा 14.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03/01 मन्जूदेवी व 03/03 कैलाश व 03/04 जितेन्द्र को व रकबा 10.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 रूपाराम को व रकबा 03.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/02 केशरमल को व रकबा 03.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/03 श्रीराम को तथा रकबा 06.00 बीघा भूमि का वादीगण सत्यनारायण व पूर्णमल को खातेदार घोषित किया जावे व इस खसरे के राजस्व अभिलेख में दर्ज शेष अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जावे।
2. खसरा नम्बर 380 रकबा 21.18 बीघा भूमि में से रकबा 10.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02/01 भगवतीदेवी व प्रतिवादी संख्या 02/02 नेमीचन्द को तथा रकबा 03.13 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/02 केशरमल को व रकबा 04.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/03 श्रीराम को व रकबा 03.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/04 सुरेशकुमार को खातेदार घोषित किया जावे व इस खसरे के राजस्व अभिलेख में दर्ज शेष अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

3. खसरा नम्बर 379 रकबा 20.02 बीघा भूमि में से रकबा 02.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02/02 नेमीचन्द को तथा शेष रकबा 18.02 बीघा भूमि का वादी संख्या 01 सत्यनारायण व वादी संख्या 02 पूर्णमल को खातेदार घोषित किया जावे व इस खसरे के राजस्व अभिलेख में दर्ज शेष अन्य खातेदारान् का नाम हटाया जावे।
4. प्रतिवादी संख्या 04 लालूराम उर्फ लालचन्द पुत्र चेनाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में "लालू उर्फ लालचन्द" के स्थान पर "लालूराम पुत्र चेनाराम" दुरस्त किया जावे।

वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण संख्या 01 ता 05 ने इकबालिया जवाब पेश कर जाहिर किया कि, वाग्रस्त भूमि में पक्षकारान् अपने–अपने हकानुसार काबिजकाश्त हैं जिसका सही–सही वर्णत दावा मय नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वादी द्वारा किया है जिसमें कि प्रतिवादीगण की किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अनुतोष वादी माफिक दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ प्रतिवादीगण पेश करते हैं। वादीगण की पहचान वकील श्री नेमीचन्द ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री लालसिंह गोदारा ने की। हस्ब बख्वाहिश इकबालिया जवाब तस्दीक किया गया।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी ग्राम दयालपुरा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 173/156 खसरा नम्बर 380 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम दयालपुरा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 172/155 खसरा नम्बर 379 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश मौजा दयालपुरा खसरा नम्बर 379 व 380 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम दयालपुरा सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 40/35 खसरा नम्बर 364 की प्रमाणित प्रतिलिपि, गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम दयालपुरा सम्वत् 2072 की प्रमाणित प्रतिलिपि व नक्शाट्रेश ग्राम दयालपुरा में खसरा नम्बर 364 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश किये हैं।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकुलाय पक्षकारान् ने माफिक दावा तथा अनुतोष वादी मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

प्रतिवादी संख्या 04 लालूराम उर्फ लालचन्द पुत्र चेनाराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में "लालू उर्फ लालचन्द" दर्ज है जिसके स्थान पर "लालूराम पुत्र चेनाराम" दुरस्त किया जाने बाबत् वादीगण जरिये वकुलाय निवेदन कर रहे हैं क्योंकि प्रतिवादी संख्या 04 का नाम उसके समस्त अन्य सरकारी दस्तावेजात् में लालूराम पुत्र चेनाराम दर्ज है। वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् जरिये वकुलाय अनुतोष वादी माफिक दावा के, दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। ऐसी स्थिति में दावा के परिप्रेक्ष्य में माफिक अनुतोष वादी के दावा डिक्री किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, वादी अनुतोष के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार दावा डिक्री किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 372/2018
दायर दिनाँक 19.12.2018, निर्णय दिनाँक 24.12.2018
सत्यनारायण बनाम् केशराराम, वगैरा।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद दयालपुरा में वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 14.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03/01 व 03/03 व 03/04 को व रकबा 10.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 03.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/02 को व रकबा 03.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/03 को तथा रकबा 06.00 बीघा भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व अभिलेख में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 380 रकबा 21.18 बीघा भूमि में से रकबा 10.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02/01 व प्रतिवादी संख्या 02/02 को तथा रकबा 03.13 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/02 को व रकबा 04.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/03 को व रकबा 03.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व अभिलेख में से हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 379 रकबा 20.02 बीघा भूमि में से रकबा 02.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02/02 को तथा शेष रकबा 18.02 बीघा भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व अभिलेख में से हटाया जाता है।
4. खसरा नम्बर 364 व 380 के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी संख्या 04 का नाम, "लालू उर्फ लालचन्द" के स्थान पर "लालूराम पुत्र चेनाराम" दुरस्त किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एकदूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **24.12.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 372/2018 दायर दिनाँक 19.12.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. सत्यनारायण पुत्र हणमानराम, उम्र–64साल, 2. पूर्णमल पुत्र हणमानराम, उम्र–59साल, समस्त,जाति–नाई, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. केशराराम पुत्र दानाराम, उम्र–60साल, जाति–जाट, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. नाथूराम पुत्र लादूराम, (फौत), के वारिसान,– 2/1 भगवतीदेवी पत्नी स्वर्गीय नाथूराम, उम्र–58साल, 2/2 नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय नाथूराम, उम्र–35साल, 2/3 सरोज पुत्री स्वर्गीय नाथूराम पत्नी राधेश्याम, उम्र–38साल, हाल,निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2/4 सुमन पुत्री स्वर्गीय नाथूराम पत्नी सोहनराम, उम्र–32साल, हाल,निवासी–मौल्यास ी, तहसील–लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर, राजस्थान, 2/5 मैना पुत्री स्वर्गीय नाथूराम पत्नी विनोदकुमार, उम्र–26साल, हाल,निवासी–बेगसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3. कुन्दनराम पुत्र लादूराम (फौत) के वारिसान्– 3/1 मन्जूदेवी पत्नी स्वर्गीय

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		कुन्दनराम, उम्र–50साल, 3/2 राजेन्द्रकुमार पुत्र स्वर्गीय कुन्दनराम, (लाऔलाद फौत), 3/3 कैलाश पुत्र स्वर्गीय कुन्दनराम, उम्र–32साल, 3/4 जितेन्द्र पुत्र स्वर्गीय कुन्दनराम, उम्र–28साल, 4. लालूराम उर्फ लालचन्द पुत्र चेनाराम, (फौत), के वारिसान्– 4/1 रामीदेवी पत्नी स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, (फौत), 4/2 कैशरमल पुत्र स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, उम्र–45साल, 4/3 श्रीराम पुत्र स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, उम्र–40साल, 4/4 सुरेशकुमार पुत्र स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द, उम्र–35साल, 4/5 भँवरी पुत्री स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द पत्नी बाबूलाल, उम्र–48साल, हाल,निवासी–सरदार पुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4/6 सावित्री पुत्री स्वर्गीय लालू उर्फ लालचन्द पत्नी स्वर्गीय भागीरथराम, उम्र–42साल, हाल,निवासी–सरदार पुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, समस्त,जाति–नाई, निवासी–दयालपुरा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

		तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, प्रतिवादीगण संख्या 02/03 हाल,निवासी–मावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान तथा प्रतिवादी संख्या 02/04 हाल,निवासी–मौल्यासी, तहसील–लक्ष्मणगढ, जिला–सीकर, राजस्थान, प्रतिवादी संख्या 02/05 हाल,निवासी–बेगसर, तहसील–तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान व प्रतिवादी संख्या 04/05 हाल,निवासी–सरदारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान तथा 04/06 हाल,निवासी–कर्णपुरा, तहसील–दाँतारामगढ, जिला–नागौर, सीकर, राजस्थान। 5. रूपाराम पुत्र हुक्माराम, उम्र–65साल, जाति–जाट, निवासी–दयालपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.
व
रिकॉर्ड दुरस्तीकरण अन्तर्गत धारा 136 R.L.R. Act.

दिनाँक **24.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री नेमीचन्द शर्मा, वकील, वादी व श्री लालसिंह गोदारा, वकील, प्रतिवादीगण ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद दयालपुरा में वादग्रस्त खसरान् की भूमि का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के किया जाकर, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शित भूमि मुताबिक भूमि की खातेदारी निम्नानुसार घोषित की जाती है:-

1. खसरा नम्बर 364 रकबा 45.02 बीघा में से रकबा 08.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा 14.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 03/01 व 03/03 व 03/04 को व रकबा 10.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 05 को व रकबा 03.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/02 को व रकबा 03.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/03 को तथा रकबा 06.00 बीघा भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व अभिलेख में से हटाया जाता है।
2. खसरा नम्बर 380 रकबा 21.18 बीघा भूमि में से रकबा 10.19 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02/01 व प्रतिवादी संख्या 02/02 को तथा रकबा 03.13 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/02 को व रकबा 04.01 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/03 को व रकबा 03.05 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 04/04 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व अभिलेख में से हटाया जाता है।
3. खसरा नम्बर 379 रकबा 20.02 बीघा भूमि में से रकबा 02.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02/02 को तथा शेष रकबा 18.02 बीघा भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इनके अलावा अन्य दर्ज खातेदारान् का नाम इस खसरे के राजस्व अभिलेख में से हटाया जाता है।
4. खसरा नम्बर 364 व 380 के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज प्रतिवादी संख्या 04 का नाम, "लालू उर्फ लालचन्द" के स्थान पर "लालूराम पुत्र बेनाराम" दुरस्त किया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एकदूसरे के हिस्से व खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत...............
......–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।   बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	–		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner